परिशिष्ट ''घ''

गाड़ी परिचालन कर्मचारियों की ड्यूटी

कर्मचारियों के कर्तव्य : साधारण और सहायक नियमों और प्रशासन द्वारा समय – समय पर अनुदेशों में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्यप्रति के परिचालन कार्यों से सम्बन्ध में स्टेशन कर्मचारियों का निम्नलिखित कर्तव्य शामिल होंगे :–

1. स्टेशन अधीक्षक / स्टेशन मास्टर :

स्टेशन मास्टर स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी है। संचालन एवं कुशलता के उच्च मानक की उपलब्धि एवं निर्वाह करने के लिए सुरक्षित संचालन के लिए सामान्यतया उत्तरदायी है। अतः उनका कर्तव्य है कि व सभी श्रेणियों के कर्मचारी को अपनी उपस्थिति का एहसास करायें। उसके कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी शामिल है

1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण तथा अपने स्टेशन परिसर का सामान्य रखरखाव तथा सफाई सुनिश्चित करना ।

1.2 यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक जांच करना कि सभी श्रेणी के कर्मचारी अपनी पाली रोस्टर के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा सही एवं सुरक्षित कार्य पद्धति अपनायी जा रही है।

1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को आवधिक परीक्षा एवं जांच कराना कि इन से सम्बन्धित कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी नियमों से वे पूर्णतः अवगत है।

1.4 दुर्घटना निवारण एवं संचालन को सही एवं संरक्षित विधि के प्रयोग सम्बन्धी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

1.5 यार्ड एवं यार्ड के उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।

1.6 आश्वासन पुस्तिका, दुर्धटना पुस्तिका एवं स्टेशन संचालन नियमावली का रख–रखाव करना।

1.7 रात्रि में स्टेशन कार्यालय और गाड़ी संचालन के प्रयाजनार्थ निर्धारित नियम पुस्तिका, दैनिक गाड़ी सिगनल पुस्तिका, पेपर लाइन क्लियर पुस्तिकाओं, सतर्कता आदेश पुस्तिका टी / 409 एवं टी / 369(1) या (3बी) इत्यादि का आवधिक निरीक्षण करना।

1.8 सभी अनियमितताओं एवं नियम भंग के मामले का पता लगाना और रिपोर्ट करना।

1.9 सामान्य संचालन में सुधार लाने अथवा संरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए यार्ड में किसी आवश्यक संशोधन सम्बन्धित सुझाव सहित युक्ति भी सुझाना।

1.10 स्टेशन मास्टर निम्नलिखित पैरा (2) में सहायक स्टेशन मास्टर के लिए वर्णित कर्तव्यों के मदों के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

1.11 निम्नलिखित पुस्तकें एवं पंजिकाओं का अनुरक्षण के लिये जिम्मेदार होगें :-

(क) सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक,
(ख) दुर्घटना मैनुअल,
(ग) परिचालन परिपत्र / मैनुअल,
(घ) कोचिंग टैरिफ, माल टैरिफ,रेड टैरिफ,
(ड़) सामान्य पंजिका,
(च) आश्वासन पंजिका,

क्रमशः पृष्ट 2 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

(छ) वैगन पंजिका,
(ज) उपस्थिति पंजिका एवं मस्टर रोल,
(झ) अधिकारियों / निरीक्षकों का निरीक्षण पंजिका,
(ढ) समयोपरि कार्य पंजिका,
(त) संरक्षा बैठक पंजिका,
(थ) संरक्षा बुलेटिन - मंडलीय तथा मुख्यालय दोनो,
(द) एस एण 76 पंजिका,
(ध) दुर्घटना पंजिका एवं दुर्घटना चार्ट,
(न) फाग सिगनल पंजिका,
(प) विलम्ब पंजिका,
(फ) माल / पार्सल प्रतिबंध संदेश पंजिका,
उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य पुसतक पंजिकाओ काभी अनुरक्षण सुनिश्चित करेंगे ।

2- <u>सहायक स्टेशन मास्टर (बहिरंग</u>): -

सहायक स्टेशन मास्टर (बहिरंग) स्टेशन और गाड़ियों के संचालन आगमन एवं प्रस्थान से सीधे सम्बन्धित एवं उसके संचालन के प्रभारी होंगे। गाड़ी संचालन से सम्बन्धित सभी कर्मचायिों के उनके आदेशों एवं अनुदेशों के अनुरूप कार्य करना चाहिये। वह सहायक स्टेशन मास्टर (अंतरंग), शंटिंग मास्टर, पार्सल पारगमन लिपिक, गाड़ी परीक्षक, प्रधान टिकट संग्राहक के साथ परस्पर तालमेल बनायें रखेगा ताकि गाड़ियों के सभी कार्य निर्धारित समय के अंदर सम्पन्न हो सके । उनके कर्तव्यों में उपरोक्त बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं।

2.1 साधारण तथा सहायक नियमों एवं स्टेशन कार्य प्रणाली में अंकित नियमों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना ।
2.2 यात्री एवं माल गाडियों की शण्टिंग का पर्यवेक्षण ।
2.3 यात्री गाडी के रेक का प्लेटफार्म पर समय से रखना सुनिश्चित करना ।
2.4 गाडी के चालकों को सतर्कता आदेश (टी-409) जारी करना ।
2.5 कोचिंग स्टॉक संचलन सम्बन्धी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना ।
2.6 स्टेशन डायरी तथा कोचिंग स्टॉक सम्बन्धी स्टेशन आदेश पंजिका का रख-रखाव।
2.7 प्राइवेट नम्बर पुस्तिका तथा कांटा चाभियों का व्यक्तिगत अभिरक्षण ।
2.8 यात्री गाडी रेक को समय से प्लेटफार्म लाइन से हटाना एवं प्लेटफार्म लाइन पर रखना ।
2.9 अपनी ड्यूटी के दौरान सभी यात्री गाडियों तथा विशेष गाडियों पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहना ।
2.10 वे सभी तार तथा एडवाइस जो स्टेशन अधीक्षक या सहायक स्टेशन मास्टर के लिये प्राप्त हुई हैं उन पर की गयी उचित कार्यवाही को सुनिश्चित करना ।
2.11 यह सुनिश्चित करना कि जो भी गति प्रतिबन्ध सम्बन्धी लाग/ निरस्त करने वाले आदेश अथवा खराब सिगनल की सूचनायें प्राप्त होती हैं उनका इन्दराज सम्बन्धित पंजिका में किया जा रहा है तथा उन आदेशों का अनुपालन हो रहा है ।

क्रमश: पृष्ट 3 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

2.12 स्टेशन अधीक्षक की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण तथा यह देखना कि जो भी कार्य कर्मचारिंयों को आवंटित हैं, उनका अनुपालन नियमत: एव कुशलतापूर्वक हो रहा है ।

2.13 गाडियों के प्रस्थान के पूर्व ही गाडी परीक्षक का `फिट मेमो` प्राप्त करना ।

2.14 समयानुसार निरीक्षण यानों तथा अन्य कोचिंग वाहनों का यथास्थान रखना सुनिश्चित करना ।

2.15 सहायक स्टेशन मास्टर(अंतरंग), शण्टिंग जमादार के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण ।

2.16 प्राशासनिक तथा कण्ट्रोल दूरभाष से प्राप्त समस्त आदेशों एवं निर्देशों के अभिलेखों का रख-रखाव तथा इन्हें तुरन्त सम्बन्धित कार्यरत स्टेशन मास्टरों को सूचित करना ।

2.17 गाडियों के विलम्बन विवरण के साथ सम्बन्धित गाडी नियंत्रक कार्यालय को गाडियों की `इन` तथा `आउट` सूचना देना ।

2.18 गाडी के गार्डों से प्राप्त विलम्बन मेमो के विवरण को गाडी नियंत्रक तक पहुँचाना ।

2.19 सतर्कता आदेश पंजिका तथा अन्य पंजिका रख-रखाव ।

2.20 गार्ड उपस्थिति पंजिका तथा गार्ड बुंकिंग पंजिका के जी.बी.आई. द्वारा रख-रखाव की जाँच करते रहना । गार्ड उपस्थिति पंजिका सहायक स्टेशन मास्टर (वाह्य) के कार्यालय में ही रखी जायेगी ।

2.21 ऐसे भी पंजिका का रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा जिसमें स्टेशन पर आने वाली / छूटने वाली गाडियों के साथ कार्यरत गार्ड, चालक प्लेटफार्म संख्या तथा इंजन का विवरण तथा अन्य आवश्यक विवरण सम्मिलित होंगे ।

2.22 गाडी स्थिति पंजिका का रख-रखाव होगा जिसमें गाडी नियंत्रक द्वारा प्राप्त आदेशों तथा गाडियों के संचलन का पूर्वानुमान अंकित होगा ।

2.23 सिगनलों तथा कांटों की विफलता की दशा में सम्बन्धित कांटों की क्रैकिंग, सेटिंग, क्लैम्प लगने, लॉक करने तथा सम्बन्धित सिगनलों के लिये टी-369(3बी) जारी करने का सहायक स्टेशन मास्टर (वाह्य) ही उत्तरदायी होगा ।

2.24 ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में लाइनों के बाधारहित होने को स्वयं देख कर सुनिश्चित करना इसकी अपनी जिम्मेदारी होगी ।

2.26 यार्ड की दुर्घटना में उपस्थित रहना तथा सहा0 स्टेशन मास्टर (अंतरंग) को सूचना प्रेषण में मदत करना एवं आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही करना ।

2.27 लगेज एवं पार्लस का उपलब्ध प्रथम गाड़ी से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करना ।

2.28 गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार का भेजना सुनिश्चित करना ।

टिप्पणी :

उपर्युक्त परिचालन सम्बन्धी कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सहायक स्टेशन मास्टर उन अन्य आदेशों का अनुपालन करने को विशेष रुप से समय-समय पर प्रशासन द्वारा किये जायेंगे ।

क्रमश: पृष्ट 4 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

3- <u>सहायक स्टेशन मास्टर (अंतरंग):</u> -

सहायक स्टेशन मास्टर (अंतरंग) द्वारा गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित कार्य सहायक स्टेशन मास्टर (बहिरंग) के आदेशों के तहत करेगा । वह अपने चार्ज के अन्तर्गत स्टेशन के कार्यो के लिये उत्तरदायी होगा । अन्य सभी कर्मचारी जो उनके सहायतार्थ कार्य पर लगाये गये है वे इनके आदेशों और निर्देशों के अनुरुप कार्य करेंगे । सभी नियंत्रण एवं प्रशासनिक टेलीफोन को भी सुनेगें ।वह ब्लाक उपकरणोंतथा सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय का सर्वेसर्वा प्रभारी होगा ।

3.1 कार्यमुक्त हो रहे स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर से यार्ड, कांटों, सिगनलों, कांटा सूचकों, प्वाइण्ट चाभी पेटिका, अन्य संरक्षा उपकरणों, प्राइवेट नम्बर पुस्तिका और सामान्य तथा असामान्य परिस्थितियों में गाडी संचालन के लिये आवश्यक पुस्तिकाओं की स्थिति की जानकारी और यह सुनिश्चित करना कि इस सम्बन्ध में स्टेशन डायरी में प्रविष्टियाँ कर दी गयी हैं ।

3.2 अपनी ड्यूटी के दौरान आने / जाने वाली गाडियों के लिये सहायक स्टेशन मास्टर (बहिरंग) के आदेश से लाइन क्लियर देना / लेना तथा प्रस्थान प्राधिकार देना ।

3.3 ब्लॉक उपकरणों का संचलन एवं नियंत्रण करना तथा कण्ट्रोल फोन पर स्वयं उपस्थित होकर बातचीत करना ।

3.4 साधारण तथा सहायक एवं स्टेशन कार्य-प्रणाली नियमों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना एवं थ्रू जाने की स्थिति में नियमानुसार स्टेशन छोर से प्रोसीड सिगनल देना और विपरीत छोर से `सब ठीक है` सिगनल कांटावाला द्वारा दिलवाने की व्यवस्था करना ।

3.5 सभी सिगनल संचालनों (ऑपरेशन्स) का नियंत्रण करना ।

3.6 शण्टिंग के लिये प्रभारी कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश देना ।

3.7 आवश्यकता पडने पर जाने वाली गाडियों के गार्ड और चालकों को सतर्कता आदेश (टी-409) तथा खराब सिगनल सूचना (टी -369(3बी) जारी करना ।

3.8 स्टेशन डायरी और गाडी सिगनल पंजिका का अनुरक्षण ।

3.9 प्राइवेट नम्बर पुस्तिका तथा ब्लॉक संयंत्रों की चाभियों को अपने व्यक्तिगत संरक्षण में रखना ।

3.10 कार्यरत अन्य कर्मचारिंयों के कार्यों का पर्यवेक्षण ।

3.11 किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से अन्य आवंटित कार्यों का सही रुप में पालन सुनिश्चित करना ।

3.12 स्टेशन मास्टर की कार्य अवधि समाप्ति के पश्चात् स्टेशन का सामान्य पर्यवेक्षण ।

3.13 प्रस्थान करने वाली गाड़ी को सही टोकेन देना तथा आने वाली गाड़ी से सही टोकेन लेना ।

3.14 आगमन / प्रस्थान सिगनलों को 'आफ' स्थिति में करने से पहले सम्बन्धित लाइन के कांटो का सेट एवं लाक तथा लाइन का साफ होना सुनिश्चित करना।

3.15 निजी संख्या पुस्तिका टोकेन ब्लाक यंत्रों के कुजियों , दिशा तथा लाइन चाभी लाक अप बाक्स की चाभी तथा कांटा कंट्रोल चाभी को निजी अभिरक्षा में रखना।

3.16 ब्लाक यन्त्र का संचालन एवं उसकी चाभी को अपने व्यक्तिगत संरक्षण में रखना ।

3.17 ब्लाक यन्त्र, कांटे, सिगनल एवं इनसे सम्बन्धित अन्य उपकरण के विफलता होने पर उनके अनुरक्षण हेतु अनुरक्षण कर्मचारियों को सूचना देना तथा इस दौरान सही कार्यविधि अपनाना ।

क्रमश: पृष्ट 5 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय) (धीरेन्द्र कुमार)
मंसिदूई / वाराणसी वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

3.18 किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आबंटित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।
3.19 गाड़ियों के पूर्ण आगमन को सुनिश्चित करना।
3.20 शिफ्ट वाइज कर्तव्य के दौरान स्टेशन डायरी का अनुरक्षण ।
3.21 समपार को बन्द एवं लाक कराना ।
3.22 प्रशासनिक तथा कनट्रोल से प्राप्त निर्देशों के अभिलेक को अद्यतन रखना एवं गाड़ियों के बिलम्बन से कन्ट्रोल को अवगत कराना ।

4 कांटावाला

कार्यरत कांटावाला, गाडियों के आगमन और प्रस्थान तथा स्टेशन पर गाडियों की शण्टिंग के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के पालन हेतु उत्तरदायी है । उसे स्टेशन के संरक्षित एवं तत्परता से कार्य संचालन हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के सभी नियमसंगत आदेशों का पालन करना है । उपर्युक्त अंकित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त कार्यरत कांटावाला के कर्त्तव्यों में निम्नलिखित कार्य भी सम्मिलित हैं :-

4.1 मार्ग में पड़ने वाले सभी फेसिंग कांटों को सेट करना तथा उनमें ताला लगाना ।
4.2 मार्ग में पड़ने वाले सभी ट्रेलिंग कांटों को सेट करना ।
4.3 यह सुनिश्चित करना कि लाइन साफ है और सभी प्रकार के अवरोधों से मुक्त है ।
4.4 समपार फाटक को सडक़ यातायात के विरुद्ध बन्द तथा लाक होने को सुनिश्चित करना ।
4.5 गाड़ियों के लिये सिगनल झुकाने से पहले सबसे बाहरी कांटे के पास से **सब ठीक है** सिगनल का स्टेशन मास्टर से आदान - प्रदान करना ।
4.6 दिन में टेल बोर्ड और रात में टेल लैम्प देखकर सम्पूर्ण गाड़ी के आगमन एवं प्रस्थान को सुनिश्चित करना ।
4.7 स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार गाडियों की शण्टिंग करना ।
4.8 समय पडने पर गाडियों की पायलटिंग करना ।
4.9 रनिंग लाइन पर खडे स्टैबिल्ड लोड एवं शंटिंग के बाद खाले वाहनों को सुरक्षा चेन से बांधना तथा गाडियों के ब्रेक गिरा कर इन्हें सुरक्षित करना ।
4.10 सिगनलों, कांटा सूचकों तथा स्टेशन पर प्रयुक्त हाथ बत्तियों की सफाई, जलाना तथा बुझाना
4.11 आवश्यकता पड़ने पर गाडियों की `इन रिपोर्ट` लाना ।
4.12 कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशानुसार पटाखा सिगनल लगाना ।
4.13 आवश्यकता पडने पर प्रस्थान करने वाली गाडी के गार्ड तथा ड्राइवर को सतर्कता आदेश (टी-409) देना ।
4.14 फ्लेन्ज तथा कांटों को बैलास्ट तथा धूल-मिट्टी से साफ रखना ।
4.15 सिगनलों,कांटो,क्रासिंग तथा गार्ड रेलों में कोई खराबी या क्षति होने पर अथवा रेलवे के संरक्षित तथा समुचित ठंग से परिचालन को प्रभावित करने वाली घटना एवं शंटिंग के दौरान किसी वाहन में गड़बड़ी की स्थिति में स्टेशन मास्टर को सूचित करना ।

क्रमश: पृष्ट 6 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

5. शंटिंग मास्टर / जमादार :-

शंटिंग मास्टर / जमादार, यार्ड में स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार गाडियों के विचछेदन, छटाई, विन्यास और गठन से सम्बन्धित शंटिंग के लिये उत्तरदायी होगा ।यह स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर के सभी निर्देशों का पालन करेगा और कार्य फुर्ती और कुशलता पूर्वक इस तरीके से करेगा कि गाडी संचालन में संरक्षा प्रभावित न हो । गाड़ियों के आवागमन के सम्बन्ध में उसकी ड्यूटी में सम्मिलित है :-

5.1 आवंटित लाइनों को खाली करना,

5.2 यह सुनिश्चित करना कि जिस लाइन पर गाड़ी ली जानी है वह उल्लंघित न हो और तब तक खाली रखा जाय जब तक पूरी रेल गाड़ी आ न जाय ।

5.3 यह सुनिश्चित करना कि जिस लाइन से बाहर जाने वाली गाड़ी जायेगी वह गाड़ी के स्टेशन सीमा के बाहर निकल जाने तक उल्लंघित न हो ।

6. शंट मैन :-

इन कर्मचारियों का कार्य यह है कि वे गाड़ियों को जोड़े और कांटे और शंटिंग मास्टर / जमादार अथवा शंटिंग कार्य के लिये प्रभारी किसी कर्मचारी के निर्देश पर शंटिंग कार्य में सहायता दें ।

7 केविन मैन :- परिशिषट -च में अंकित है ।

8 लाइन क्लीयर पोर्टर :-

8.1 लाइन क्लीयर पोर्टर गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान से सम्बन्धित कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का तत्परतापूर्वक अनुपालन करने हेतु उत्तदायी है ।

8.2 सवारी गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान कराने हेतु स्टेशन घंटी को बजाना ।

8.3 आगमन करने वाली गाड़ी के चालक से आवक टोकन लेकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सौपना ।

8.4 प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को प्रस्थान प्राधिकार प्रदान करना ।

8.5 खड़ी गाड़ी के गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र (टी 1410 पर) प्राप्त करना ।

8.6 यदि आवश्यकता हुयी तो प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर एवं गार्ड को सर्तकता आदेश (टी -409) प्रदान करना ।

8.7 यदि आवश्यकता हुयी तो प्रस्थान करने वाली के ड्राइवर को दोषपूर्ण सिगनल की सूचना देना ।

8.8 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा जब और जहां आदेश दिया जाए पटाको को रखना ।

8.9 स्टेशन बत्तियों की सफाई, जलाना, बुझाना ।

8.10 फ्लेयर टार्च का अनुरक्षण और रात्रि के समय प्रयोग में लाने हेतु तैयार रखना ।

क्रमश: पृष्ट 7 पर

(आशुतोष कु0 पाण्डेय)
मंसिदूई / वाराणसी

(धीरेन्द्र कुमार)
वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी

9. **<u>फाटकवाला</u>** :

फाटकवाला उसके चार्ज में दिये समपार फाटक के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन द्वारा दिये गये उपकरणों को सुरक्षित रखना, उनके उचित प्रयोग और अनुरक्षण का उत्तरदायी उसी का है। उसे सड़क यातायात और रेलवे के लिए सदैव सतर्क रहना है और फाटक को निर्धारित तरीके से परिचालित करके रेल यातायात एवं सड़क यातायात दोनों को सुरक्षित करना है। शंटिंग मूवमेंट और गाड़ी गुजरने पर फाटक को बंद करना तथा सड़क यातायात डिटेंशन की घटना न धटे उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :

9.1 गाड़ी को गुजरने के लिए समपार फाटक को बंद करके ताला लगाना तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को समपार फाटक के बंद होने की सूचना संबंधित परिशिष्ट'ए के अनुसार देना।

9.2 दिन में गेंट लाज की तरफ सतर्कता के साथ दाहिने हाथ में लाल व बायें हाथ में हरी झण्डी लेकर तथा रात में हाथ बत्ती को ट्रैक की तरफ सफेद रोशनी करके खड़े होना चाहिये जिससे कि आपात स्थिति में वह आवश्यकता पड़ने पर शीध्र हाथ बत्ती दिखा सके।

9.3 खतरे की आशंका में उसे सतर्क और तुरन्त कार्यवाही हेतु तैयार रखना चाहिये।

9.4 उसे देखना चाहिये कि समपार फाटक छोड़ना पड़ जाय तो सड़क यातायात को रेाकने हेतु फाटक को बंद कर ताला लगा देना आवश्यक है।

9.5 फाटक की बत्तियां निरंतर प्रज्जवलित रहना चाहिये, इसे सुनिश्चित कर लें।

9.6 यदि आपात स्थिति में उसे फाटक छोड़ना पड़ जाय तो सड़क यातायात को रेाकने हेतु फाटक को बंद कर ताला लगा देना आवश्यक है।

9.7 इसे सुनिश्चित करना चाहिये कि पहियों के फलेन्च के पैनल हमेशा साफ रहते हैं।

9.8 फाटक या उससे संबंधित यंत्रों में यदि कोई खराबी दिखायी देती है तो शीध्र से शीध्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित कर देना चाहिये।

9.9 यदि वह देखता है कि गाड़ी पार्ट हो गयी हो तो शोर मचाकर या हाव–भाव से ड्राइवर एवं गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये। (उसे खतरे का सिगनल कतई नहीं दिखाना चाहिये)

9.10 उसे अपने कार्यभार के धंटों में फाटक पर प्रत्येक दशा में उपस्थित रहना चाहिये।उसे समपार फाटक को तब तक नहीं छोड़ना चाहिये जब तक कि वह कार्यमुक्त न हो गया हो।

9.11 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये सभी बैध निर्देशेां का पालन करना चाहिये।

क. गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिए फाटक को बंद करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाटक बंद इंडीकेशन देगा ।

ख. फाटक होकर गाड़ियों के संरक्षित रूप के पास करने का ध्यान रखना और गाडियों के चालन 'रन' के दौरान पायी गयी किसी खराबी के संबंध में चिल्लाकर अथवा अंग संचालन द्वारा चालक एवं गार्ड का ध्यान आकृष्ट करेगा।

ग. अपने कर्तव्य काल में चेक रेल को साफ रखना।

(आशुतोष कु0 पाण्डेय) (धीरेन्द्र कुमार)
मंसिदूई / वाराणसी वमंपचाप्र /सा0/ वाराणसी